भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 163
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़ 1947 (शक)

तमिलनाडु में कुंद्रांदर मंदिर का जीर्णोद्धार

163. श्री दुरई वाइको:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज् के पुदुक्कोट्टई जिले में स्थित कुंद्रांदर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण और नियंत्रण में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंदिर में संरक्षण और रखरखाव का कार्य 25 वर्षों से अधिक समय से रुका हुआ है अथवा उपेक्षित पड़ा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल के संरचनात्मक संरक्षण और जीर्णोद्धार में लंबे समय से निष्क्रियता और उपेक्षा के क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार की उक्त स्थल पर जीर्णोद्धार और रख-रखाव कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पुन: प्रारम्भ करने और पूरा करने की कोई योजना है;
(ड.) यदि हां, तो समय-सीमा और बजट आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार तमिलनाडु राज्य में एएसआई के नियंत्रण में कुंद्रांदर मंदिर जैसी विरासत संरचनाओं की समय-समय पर निगरानी और उचित रखरखाव करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के कुन्नंदरकोविल में शैल कृत शिव मंदिर, चबूतरे के सामने के भाग में पहियों सहित रथ मंडप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखभाल और अनुरक्षण के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है।

(ख) और (ग): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों और संरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता, प्राथमिकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समय-समय पर नियमित रखरखाव और संरक्षण कार्य किए जाते हैं।

(घ) और (ड.): स्मारक का रखरखाव और संरक्षण किया जाना, एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त स्मारक हेतु 12,00,000/- रुपए की वार्षिक संरक्षण योजना (एसीपी) बनाई गई है।

(च): तमिलनाडु राज्य में उक्त मंदिर सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में 412 संरक्षित स्मारक और संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनका नियमित रखरखाव और संरक्षण किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी इन संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों के संरक्षण, रखरखाव और आवश्यक मरम्मत के कार्यों की स्थिति की निगरानी के लिए समय-समय पर उनका निरीक्षण करते हैं। ये प्रयास राज्य के भीतर धरोहर संरचनाओं के उचित रखरखाव और संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं।

*****